फर्द अहकाम

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

...लय

[illegible] बनाम [illegible]

...दमा संख्या / वर्ष : 69 / 2018

स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/1/23	वकील उभय पक्ष एवं वकील उभय पक्ष ने आपस में समझौता कर लिया है। पत्रावली पेश होकर फैसल हुआ पत्रावली 022 R3 CPC हेतु दिनांक 10/2/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
	10/2/23	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ...हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 20/3/23 को पेश हो। (रीडर)	
	20/3/23	आज उभयपक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब ...हैं। पत्रावली आईन्दा गत आदेश की पालना में दिनांक 8/5/23 को पेश हो।	
	8/5/23	आज यह पत्रावली न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने से नियत तारीख से पश्चात आज पेश हुई। [illegible] बाबत पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/6/23 को पेश हो।	मुजाबिक [illegible] [illegible] 022-13 [illegible] 1st [illegible] [illegible]
	22/6/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अजर्की सं0 2 मृतक सुगनी देवी का आज पेश हुआ जिसे उभयपक्ष की सहमति से स्वीकार किया जाता है। अजर्की सं0 2 मृतक सुगनी देवी का नाम हटाया जाता है। वकील उभयपक्ष की सहमति से मृतक राजेन्द्र दास के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है। वारिसान का नाम साल स्याली से दर्ज किया जावे। अजर्की सं0 1 व 11 के मिलान करने से अतोषा नहीं चाहा गया है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में आज राजीनामा पेश हुआ एवं कथन किया गया कि राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे। उभयपक्ष की सहमति से आज्ञप्ति 022-13 CPC स्वीकार किया जाता है। मुकदमा प्रकार दर्ज रजिस्टर होकर राजीनामा अनुसार कार्यवाही की जावे। फाइल किमिति धारा 151 CPC के साथ अलग रखी।	मुजाबिक [illegible] 022-13 [illegible] 1st [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] द्वारा पेश प्रा. पत्र 022-13 के [illegible] 151 CPC [illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] किया गया है [illegible]

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर